राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(38) परि/नियम/मु./2011/18406 जयपुर, दिनांक 25/12/20

कार्यालय आदेश 23./2020

नवीन वाहनों के पंजीयन/अन्य राज्यों में पंजीकृत पुराने वाहनों के पुनः पंजीयन (असाईनमेंट) के दौरान अस्थाई पते के प्रमाण के आधार पर ही वाहन का कार्य सम्पादित कर दिया जाता था परन्तु इस स्थिति में करापवंचन करने व फर्जी कागजातो के आधार पर चोरी के वाहनों के भी पंजीयन/पुनः पंजीयन होने की संभावना बनी रहती है। इस संभावना को न्यूनतम करने हेतु कार्यालय आदेश 26/2001 मे पते के प्रमाण के रूप में पंजीयन अधिकारी को आवेदक से दो पते (स्थाई पता एवं अस्थाई पता) लेने बाबत् आदेशित किया गया हैं। इसी प्रकार चालन अनुज्ञप्ति के आवेदन के समय भी आवेदक के अस्थाई निवासी होने पर दो पते (स्थाई पता एवं अस्थाई पता) लेने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

वर्तमान में यथा संशोधित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में इस बाबत् धारा 8 की उपधारा (1) में वर्णित है कि:–कोई व्यक्ति, जो उस समय चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है, उसको चालन अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिए (राज्य में किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा)–

(a) जिसमें वह व्यक्ति आमतौर पर निवास करता हैं या कारोबार चलाता है, या

(b) जिसमें धारा 12 में निर्दिष्ट विद्यालय या संस्थान स्थित है, जहाँ वह मोटर यान चलाना सिख रहा हैं या सीख चुका हैं।

इसी प्रकार यथा संशोधित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 40 में वर्णित है कि:– "धारा 42, धारा 43 और धारा 60 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, प्रत्येक मोटर यान का स्वामी यान को उस (राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी) से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारोबार का स्थान है जहां कि यान आमतौर पर रखा जाता है।"

उक्त धाराओं के आलोक में चालन अनुज्ञप्ति/वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, दोनों ही परिस्थितियों में आवेदक के राज्य का निवासी होने पर, किसी भी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी/पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। इस बाबत् पते के साक्ष्य के रूप में दो प्रमाण (स्थाई पता एवं अस्थाई पता) लेना औचित्यपूर्ण नही है।

अतः समस्त अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक या अधिक दस्तावेंजों को पते के प्रमाण के रूप में लिया जाना सुनिश्चित करें तथा मोटर यान के पंजीयन के समय केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 के उपनियम 1(e) के अनुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी एक को पते के साक्ष्य के रूप में लिया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ 7(38)(परि/नियम/मु./2011/18407-13 जयपुर, दिनांकः 25/12/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, वेवसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned with CamScanner